न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1064 सन 2019

अनवान :–

1. सुमित्रा पुत्री रावताराम पत्नी कृष्णलाल जाति खाती निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :–25/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 148/140 की कुल 2.2130हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीया का 1/7 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी का नाम सुमित्रा पुत्री रावताराम पत्नी कृष्णालाल के स्थान पर गुडडी पुत्री रावताराम दर्ज हो गया जबकि वादी सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति खाती है वादी अपना का नाम सही तौर से सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल दर्ज है करवाना चाहती है।

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान केडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादी का नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल दर्ज है अर्थात सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 148/140 की कुल 2.2130हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीया का 1/7 हिस्सा में वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम के स्थान पर सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 148/140 की कुल 2.2130हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीया का 1/7 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी का नाम सुमित्रा पुत्री रावताराम पत्नी कृष्णालाल के स्थान पर गुडडी पुत्री रावताराम दर्ज हो गया जबकि वादी सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति खाती है वादी अपना का नाम सही तौर से सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल दर्ज है करवाना चाहती है।

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान केडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादी का नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल दर्ज है अर्थात सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 148/140 की कुल 2.2130हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीया का 1/7 हिस्सा में वादीया का

नाम गुडडी पुत्री रावताराम के स्थान पर सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 148/140 की कुल 2.2130हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीया का 1/7 हिस्सा में वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम दर्ज किया गया है वादी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम के स्थान पर पति संशोधन करवाना चाहता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में वादी का नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल दर्ज है

सरंपच ग्राम पंचायत पिचकराई के प्रमाण पत्र के अनुसार वादीया रावताराम की पुत्री है सुमित्रा एवं गुडडी एक ही औरत है जिसकी शादी किशनपरा दिखनादा में हुई है जहॉ उसी सुमित्रा के नाम से पुकारते है और सभी दस्तावेजात में भी नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल दर्ज है वादीया का वर्तमान में सही नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल है इनको में व्यक्तिगत रूप से जानता है। सरपंच ग्राम पंचायत पिचराई की प्रमाण पत्र /रिपोर्ट से साबित होता है कि वादीया रावताराम की पुत्री थी जिसकी शादी कृष्णलाल साकिन किशनपुरा दिखनादा के साथ हुई है वर्तमान में वादीया अपने ससुराल में रहती है शादी के बाद वादीया के पति का नाम ही दर्ज किया जाना न्यायोचित है क्योकि सभी दस्तावेजात में शादी के बाद पति का नाम ही दर्ज किया जाता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर वादीया का नाम सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल किया जाना प्रतित/न्यायोचित है

वादी के पिता के स्थान पर पति का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादी के पिता का नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत पिचकराई के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 148/140 की कुल 2.2130हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीया का 1/7 हिस्सा में वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम दर्ज है के स्थान पर सुमित्रा उर्फ गुडडी पत्नी कृष्णलाल पुत्री रावताराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुमित्रा पुत्री रावताराम पत्नी कृष्णलाल जाति खाती निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1064 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 148/140 की कुल 2.2130हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से वादीया का 1/7 हिस्सा में वादीया का नाम गुडडी पुत्री रावताराम दर्ज है के स्थान पर सुमित्रा उर्फ गुडडी पत्नी कृष्णलाल पुत्री रावताराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/2/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)